

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

रीडर/2025/5830

दिनांक - 09.07.25

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 अनोपी पत्नि मानाराम 2 जीवण राम पुत्र मलूकाराम 3 पुखराज 4 शिवलाल जोशी पिसरान मानाराम 5 सुरेश कुमार पुत्र सांगाराम जाति देशांतरी निवासी जैतपुर पटवार हल्का चौखला तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर।


1 हीराराम चौधरी 2 केशाराम 3 तगाराम पिसरान चिमाराम 4 खगा पत्नि रव. भगवान सिंह 5 गोमाराम 6 छोगाराम 7 जूंजाराम पिसरान लिखमाराम 8 देवीलाल पुत्र भगवान सिंह 9 धापू देवी पत्नी पोलाराम 10 प्रभूराम पुत्र हुकमाराम 11 भीखी देवी पत्नी लिखमाराम 12 मगाराम पुत्र भगवान सिंह 13 भेराराम 14 मोटाराम पिसरान धुडाराम 15 अणसी देवी पत्नी जेरामाराम 16 ओपाराम 17 बांकाराम 18 भुराराम पिसरान जेरामाराम 19 चैनी पत्नि ओपाराम 20 मूलाराम पुत्र पूनमाराम 21 लाखाराम पुत्र किशनाराम 22 जुंझार सिंह 23 हीराराम पिसरान रावताराम जाति जाट निवासी जैतपुर पटवार हल्का चौखला तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 120/2025

दिनांक- 26/06/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा जैतपुर पटवार क्षेत्र चौखला तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 609/461 रकबा 0.0960 हैक्टयर, खसरा संख्या 610/461 रकबा 2.0225 हैक्टयर व खसरा संख्या 611/461 रकबा 6.6187 हैक्टयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाटाडू को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।




(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी,
उपबाड़मेर अधिकारी

दिनांक- बाड़मेर
09.07.25

क्रमांक :- रीडर/2025/5831-34

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाटाडू पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी चौखला तहसील बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण अनोपी पत्नि मानाराम जाति देशांतरी निवासी जैतपुरा पटवार हल्का चौखला तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण भंवरसिंह पुत्र बागसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बिशाला आगोर, बिशाला तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर
उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर